

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002

OE-11/Gr-6/F-99(V)/86

दिनांक:03.09.2025

कार्यालय आदेश-86

इस कार्यालय से महानिदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य) का कार्यालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सुश्री नेहा सिंह, सहायक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक-45 दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से पंचम वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति विस्तार (दिनांक 18.06.2025 से 17.06.2026 तक) दिया गया था। मुख्यालय के पत्र क्रमांक F.No.111-Staff(App)-I/14-2023 दिनांक: 14.02.2025 के बिंदु क्रमांक-C के तहत एतद्वारा दी गयी प्रतिनियुक्ति विस्तार प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया जाता है।

(प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी)

हस्ता-

उप महालेखाकार/प्रशासन

पृष्ठांकन क्र.-OE-11/Gr-6/F-99(V)/

दिनांक:

प्रतिलिपि: आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) ग्वालियर मध्य प्रदेश
2. उप निदेशक प्रशासन, महानिदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य) का कार्यालय, नई दिल्ली। कृपया सुश्री नेहा सिंह सहायक पर्यवेक्षक को तत्काल कार्यमुक्त कर इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. उप महालेखाकार प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, ग्वालियर मध्य प्रदेश
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी आई एस विंग को कार्यालय की वेबसाइट पर एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु
5. श्री उत्कर्ष यादव, सचिवालय उ.म.ले. प्रशासन को कार्यालय की वेबसाइट पर एवं इंटरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु
6. सुश्री नेहा सिंह, सहायक पर्यवेक्षक को महानिदेशक लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य) का कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा
7. गार्ड फाइल तीन कॉपी में
8. सूचना पटल


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-11)